Court No. - 85

Case :- APPLICATION U/S 482 No. - 24021 of 2022

Applicant :- Rajat
Opposite Party :- State of U.P. and Another
Counsel for Applicant :- Madan Singh
Counsel for Opposite Party :- G.A.

Hon'ble Gautam Chowdhary,J.

आवेदक की ओर से धारा 482 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यह आवेदन पत्र, मु0अ0सं0 493 सन 2018, अन्तर्गत धारा 354, 323, 504 भा0दं0वि0 एवं 7/8 पाक्सो ऐक्ट, थाना पाकबड़ा, जिला मुरादाबाद से उद्भूत एस0टी0 नं0 05 सन 2019 में स्पेशल जज, पाक्सो ऐक्ट, कोर्ट नं0 1, मुरादाबाद द्वारा पारित आदेश दि0 20–6–2022 के विरूद्ध दायर किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि विद्वान अवर न्यायालय ने द्वारा पारित उपरोक्त प्रश्नगत आदेश समुचित विवेचना एवं तथ्यों पर आधारित नहीं है, इसलिए प्रश्नगत आदेश त्रुटिपूर्ण है एवं अपास्त किए जाने योग्य है।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उनके तर्को का प्रबल विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक की ओर से पीड़िता को प्रतिपरीक्षा हेतु पुनः तलब कराये जाने का आवेदन पत्र बाहर होने के आधार पर दिया गया है, जिसमें आवेदक द्वारा मामले के निस्तारण को विलम्बित करने की मंशा प्रकट होती है।

मैंने विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं प्रश्नगत आदेश का परिशीलन किया।

विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश समुचित विवेचना पर आधारित है, सकारण एवं उचित आदेश है, उसमें कोई सारवान अनियमितता, अनौचित्यता या प्रक्रिया या क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः प्रश्नगत आदेश को अपास्त करने संबंधित आवेदक की प्रार्थना निरस्त किए जाने तथा प्रश्नगत आदेश पुष्ट किए जाने योग्य है।

तद्नुसार यह आवेदन पत्र **निरस्त** किया जाता है तथा अवर न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त प्रश्नगत आदेश की पुष्टि की जाती है।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रतिलिपि संबंधित अवर न्यायालय को अविलम्ब भेजना सुनिश्चित किया जाय।

दि0 : 31–8–2022
के0सी0सिंह

Digitally signed by KAILASH CHANDRA SINGH
Date: 2022.09.05 13:01:24 IST
Reason:
Location: High Court of Judicature at Allahabad